बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 196

असाधारण मॉनसून

इस वर्ष के मॉनसून को इतिहास में कई अस्वाभाविक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। यद्यपि मॉनसून का चार महीने का मौसम 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है लेकिन इस वर्ष दूर-दूर तक इसका कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि 10 अक्टूबर के पहले मॉनसून की वापसी होती नहीं दिखती। इससे पहले सन 1961 में मॉनसून ने 1 अक्टूबर को लौटना शुरू किया था। यानी, आधिकारिक तौर यह मॉनसून का सबसे लंबा ठहराव है। इसके अलावा इस वर्ष हुई कुल बारिश भी 25 वर्षों में सर्वाधिक है।

सितंबर के अंत तक सर्वोच्च स्तर से 10 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा सन 1931 के बाद से यह पहला मौका है जब मॉनसून कमजोर शुरुआत के बाद इस कदर वापसी करने में सफल रहा कि जून में बारिश की 33 फीसदी कमी दूर हो गई और वर्षा का स्तर सामान्य से बेहतर श्रेणी में चला गया। मोटे तौर पर ऐसा अगस्त-सितंबर में अत्यधिक तेज बौछारों की वजह से हुआ। सितंबर में हुई बारिश औसत से 52 फीसदी अधिक रही। बीते 102 वर्षों में यह सितंबर सबसे अधिक बारिश वाला रहा।

इसके अलावा बारिश का रुझान कुछ ऐसा रहा कि वह मॉनसून के आगमन और वापसी, शुरुआती मौसम की बारिश और अतिरंजित मौसम की घटनाओं को लेकर सोच और विश्लेषण में बदलाव की मांग करता है। बारिश को लेकर मौजूदा सामान्य स्तर सन 1941 में तय किए गए थे और उन्हें अब लागू नहीं माना जा सकता है। कह सकते हैं कि ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। मॉनसून अब पहले निर्धारित तिथियों के मुकाबले देरी से आता और जाता है।

अब यह शुरुआती मौसम में धीमा रहता है। बीते 11 में से सात वर्षों में जून यानी मॉनसून के पहले महीने में बारिश सामान्य से कम रही। तेज बारिश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं पूर्वोत्तर भारत अब उच्च वर्षा वाला क्षेत्र नहीं रहा। सन 1990 और 2000 के दो दशकों की अच्छी बारिश के बाद अब इस क्षेत्र में कम बारिश हो रही है। जलवायु में यह बदलाव कृषि क्षेत्र पर व्यापक असर डालेगा। ऐसे में फसल चक्र और कृषि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में समायोजन की आवश्यकता है। जल प्रबंधन से जुड़े व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा।

मॉनसून में यह इजाफा अल नीनो (प्रशांत सागर के गर्म होने) के कमजोर होने से हुआ है। इसके साथ ही जुलाई में हिंद महासागर के तापमान में बदलाव आया है। दिलचस्प बात है कि मौसम विभाग ने अन्य वैश्विक व घरेलू एजेंसियों की तुलना में अल नीनो के कमजोर पड़ने का सटीक अनुमान लगाया। इन एजेंसियों को लग रहा था कि इसके चलते मॉनसून कमजोर बना रहेगा।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा मॉनसून की विचित्रताओं के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा खरीफ सत्र में फसल उत्पाद सामान्य रहेगा। इसके रबी सत्र से बेहतर रहने की आशा है क्योंकि देर से बारिश होने से मिट्टी में नमी बरकरार रही। देश के 113 बड़े जलाशयों का जल स्तर पिछले वर्ष से 15 फीसदी अधिक और बीते 10 वर्ष के औसत से 21 फीसदी अधिक है। अधिकांश बांधों के गेट खोलकर ज्यादा पानी बहाना पड़ा। यह सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और जल संबंधी अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए फायदेमंद है। ये सारी बातें आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

अजय मोहंती

आर्थिक हकीकत और कर कटौती का सच

देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के बीच कॉर्पोरेट कर में कटौती को बड़े सुधारों की शुरुआत मानने की कोई ठोस वजह नहीं है। समूचे परिदृश्य पर अपनी राय रख रहे हैं देवाशिष बसु

विगत 20 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट कर में कुछ नाटकीय कटौती करने की घोषणा की जिसका लाभ एशियन पेंट्स, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनैंस, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े करदाताओं को होगा। इस कटौती से नई कंपनियों को भी फायदा होगा। उन्हें अब 17.01 फीसदी कर चुकाना होगा। इस घोषणा ने शेयर बाजार को जबरदस्त गति प्रदान की और उसी दिन बाजार 5.3 फीसदी तथा उससे अगले सोमवार को 2.8 फीसदी की उछाल के साथ बंद हुए। यह हालिया इतिहास में दो दिन की सबसे बड़ी तेजी रही। परंतु वास्तविक प्रभाव मनोवैज्ञानिक ही रहा।

बातों को बढ़ाचढ़ाकर देखना मानव स्वभाव है। यही कारण है कि उम्मीदों को पर लग गए। लोग यह मान बैठे हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अचानक ऐसा साहसी और नाटकीय कदम उठा सकते हैं तब तो बड़े आर्थिक सुधार उनके लिए बच्चों का खेल हैं। वर्ष 2014 से ही कारोबारी और निवेशक इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांच वर्ष तक वे यह मानते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि विकास दर को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना है। सिने अभिनेताओं के प्रशंसकों की तरह प्रधानमंत्री मोदी में उनका यकीन बरकरार रहा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी को सही इरादों और मजबूत इच्छाशक्ति वाला नेता माना जाता है।

नोटबंदी जैसी भारी चूक और वस्तु एवं सेवा कर के खराब क्रियान्वयन के बावजूद लोगों का यह विश्वास डिगा नहीं है। जबकि इन दो कदमों ने आपूर्ति श्रृंखला को हिला दिया और अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। इसके बावजूद जुलाई में आम बजट के ऐन पहले बाजार अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों को एक बड़े बदलावकारी बजट की आशा थी। आखिरकार, प्रधानमंत्री मोदी एक प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में आए थे। निवेशकों को लग रहा था कि इस बार बड़े सुधारों की राह में कोई बाधा नहीं है।

हकीकत इससे अलग थी। बीते कुछ महीनों के दौरान हर आर्थिक संकेतक नकारात्मक रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर निर्यात वृद्धि, दंडात्मक कर, कर आतंक, ढहता सार्वजनिक क्षेत्र, पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का गिरकर 5 फीसदी हो जाना (पुराने तरीकों से आकलन करें तो यह महज 3.5 फीसदी है), वाहनों की बिक्री 20 वर्ष के निचले स्तर पर है, विनिर्माण में कोई वृद्धि नहीं हो रही और वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में संकट के बादल छाए हुए हैं। ये सारी बातें मिलकर हालात को और खराब कर रही हैं और सरकार के कट्टर समर्थक भी इनकी अनदेखी नहीं कर पा रहे हैं। जब लगने लगा था कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं तब सरकार ने भारी कर कटौती की घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री मोदी में लोगों का भरोसा बहाल हो गया। हम फिर बड़े सुधारों के अगले दौर की प्रतीक्षा करने लगे।

वृद्धि का ढांचा

ये सुधार कौन से हो सकते हैं? दुनिया भर की आर्थिक सफलताओं के किस्सों को देखें तो वे हमें बताते हैं कि कौन सी बातें सफल होती हैं। एक संतुलित, निरंतर और समान वृद्धि के लिए जमीन, श्रम और पूंजी की बेहतर उत्पादकता आवश्यक है। दुनिया भर का अनुभव हमें बताता है कि उच्च उत्पादकता के दो वाहक हैं: पहली, एक सच्ची बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो आर्थिक कारकों को प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन दोनों मुहैया कराती हो। इससे कीमतें कम और स्थिर बनी रहती हैं। इससे खपत और निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, एक नियामकीय शासन और न्याय व्यवस्था जो अच्छे कारोबारियों को प्रोत्साहित करे और बुरे कारोबारियों को दंडित। इनके अलावा आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने का कोई परखा हुआ तरीका नहीं है। सन 1990 के दशक में आया बहु प्रशंसित उदारीकरण ये दोनों ही काम करने में नाकाम रहा। यही कारण है कि हमें भ्रष्टाचार, फंसे हुए कर्ज और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था को इनसे उबरने में ही दशक भर का समय लग गया। बाद की सरकारों ने विकृत पूंजीवाद के जरिये हालात और बिगाड़ दिए।

अगर हालिया कर कटौती ऐसे किसी सुव्यवस्थित ढांचे से उपजी होती तो यह कहीं अधिक बदलावकारी साबित होती। ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है। प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा को गति देने के लिए हमें कारोबारों में प्रवेश और निर्गम को सहज बनाना होगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है। कारोबार शुरू करने के लिए दर्जनों मंजूरियों की आवश्यकता होती है। इनमें कई तो बेतुकी होती हैं। इन्हें चलाने की लागत अच्छी खासी होती है और बंद करना भी उतना ही मुश्किल होता है। भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

संचालन, नियमन और न्याय व्यवस्था भी कोई खास बेहतर नहीं है। केंद्रीय बैंक बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों की निगरानी में बारंबार नाकाम रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के नियामकों का व्यवहार और राजस्व अधिकारियों की वसूली की प्रवृत्ति बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कम घातक नहीं है। इसके चलते काफी समय और संसाधन बरबाद होते हैं। आम जनता की नजर से दूर सरकारी परियोजनाओं की निविदा व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं। इसका असर उत्पादकता पर पड़ता है और भ्रष्टाचार पनपता है।

कर कटौती के पीछे सोच सुव्यवस्थित बदलाव की नहीं थी। इसका चाहे जितना स्वागत किया जाए लेकिन यह एकबारगी उठाया गया कदम था। सच तो यह है कि अर्थव्यवस्था के तमाम संकेतक आज 2013 से भी बुरी स्थिति में हैं। सन 2013 में भ्रष्टाचार, विकृत पूंजीवाद और नीतिगत पंगुता से त्रस्त भारत ने मोदी को तमाम आशाओं का केंद्र बना लिया था। यदि कर कटौती आर्थिक दर्शन का हिस्सा होती तो उसे बजट में स्थान मिला होता। यह सही है कि इस कर कटौती का असर इतना व्यापक है कि इसने बजट को पूरी तरह बदल दिया। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह खपत बढ़ाकर मांग में इजाफा कैसे करेगा।

कर कटौती, जुलाई में आए निराश करने वाले बजट के बाद अगस्त में शुरू हुई छह संवाददाता सम्मेलनों की श्रृंखला के आखिर में की गई। यह दर्शाता है कि यह जीडीपी वृद्धि दर में आई भारी गिरावट के बाद जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। हम यही आशा कर सकते हैं कि यहां से आगे सरकार उत्पादकता, मांग और संचालन बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर कटौती से जुड़ी भारी-भरकम आशाएं भी झूठी साबित होंगी।

कर संग्रह और कर जांच के बीच मजबूत दीवार की दरकार

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अब समय आ गया है जब कर विभाग को करदाताओं के लिए अधिक सहज बनाने हेतु एक व्यापक रणनीति तैयार करनी चाहिए। डिजिटल माध्यम की मदद से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है

पिछले सप्ताह सरकार ने 15 वरिष्ठ कर अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का पत्र थमा दिया। कुल मिलाकर ऐसे अधिकारियों की संख्या 60 हो गई है, जिन्हें सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। यह निर्णय फंडामेंटल रूल (एफआर) 56-जे के तहत लिया गया है। इस प्रावधान के तहत समूह ए, बी, सी के सरकारी अधिकारियों की सेवा शर्तों का उल्लेख है।

आखिर एफआर 56-जे के तहत क्या व्यवस्था दी गई है? इस विशेष प्रावधान के तहत सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी को तीन महीने का अग्रिम नोटिस देकर या तीन महीने के वेतन-भत्ते का भुगतान कर सेवामुक्त कर सकती है। हालांकि यह प्रावधान तीन शर्तों के अधीन है। पहली शर्त के तहत सरकार तब यह कदम उठा सकती है जब उसे लगता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का विकल्प लोक हित में है।

दूसरी शर्त यह है कि अगर अधिकारी समूह 'ए' या 'बी' से ताल्लुक रखता है तो 50 साल उम्र पूरी करने के बाद उसे सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। हालांकि यह तभी होगा जब संबंधित अधिकारी 35 साल की उम्र से पहले सेवा में आया है।

तीसरी शर्त के तहत सभी सेवाओं के दूसरे सभी समूहों के अधिकारियों को 55 साल उम्र पार करने के बाद सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकती है।

उल्लेखनीय है कि एफआर 56-जे पिछले कई दशकों से सरकारी सेवा नियमों का हिस्सा रहा है, लेकिन हाल में ही इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। वास्तव में समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से जारी सभी परिपत्रों पर गौर करें तो 1989 से 2014 यानी 25 वर्षों के बीच सरकार ने एफआर 56-जे के प्रावधानों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की। दूसरी तरफ, इन प्रावधानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए 1969 से 1989 के बीच एक दर्जन परिपत्र जारी हुए। 2014 से अब तक सरकार ने स्पष्टीकरण से संबंधित नौ परिपत्र जारी किए हैं।

एक और अहम बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कुछ महीने पहले यानी मार्च में एक परिपत्र जारी हुआ था। मार्च 2014 में जारी परिपत्र इसलिए भी अहम है कि इसमें दो खास परिस्थितियों का जिक्र किया गया था, जिनके तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा उसके 50 या 55 साल पूरा करने से कम से कम छह महीने पहले शुरू होनी चाहिए। इसमें यह भी दोहराया गया है कि सरकार एफआर 56-जे के तहत उन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है जिनका आचार-व्यवहार संदेह के दायरे में रहा है या जिनकी शारीरिक क्षमता या कार्य कुशलता स्थापित मानकों पर खरा नहीं उतरती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने समितियों के गठन और जिस तरह अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू की जा सकती है उसकी समीक्षा के लिए कई परिपत्र जारी किए हैं। हालांकि पिछले कुछ महीने के दौरान इस मसले पर गतिविधियां तेज हुई हैं और अब तक यह मोटे तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग तक ही सीमित रही हैं। लिहाजा ऐसा प्रतीत होगा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर सरकार की मुहिम भ्रष्ट कर अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना से जुड़ी शिकायतों पर ही केंद्रित है। कुल मिलाकर यह कदम विभिन्न सरकारी विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम के लिए तैयार एक व्यापक नीति का हिस्सा लग रहा है।

अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि कराधान विभाग से भ्रष्ट लोगों को रवाना करने का लक्ष्य केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति से ही पूरा नहीं होने जा रहा है। अकुशल एवं अक्षम अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति थमाने से केवल तात्कालिक चिंताएं ही दूर होंगी। उस कुव्यवस्था से निपटने के लिए भी कदम उठाना लाजिमी है, जिसमें कर अधिकारी भ्रष्ट आचरण अपनाने और करदाताओं को परेशान करने के लिए लालायित रहते हैं।

अब समय आ गया है जब कर विभाग को करदाताओं के लिए अधिक सहज बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी चाहिए। डिजिटल माध्यम की मदद से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि सर्वाधिक बुनियादी एवं प्रभावी उपाय यह होगा कि जांच करने वाले और कर संग्रह के लिए उत्तरदायी अधिकारी के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी की जाए। कर विभाग की जांच शाखा को अपने बल पर काम करना चाहिए और सरकार के राजस्व संग्रह लक्ष्य से इसका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।

उत्तरदायित्वों के मौजूदा विभाजन से कोई अपेक्षित नतीजा सामने नहीं आया है। अगर आयुक्त स्तर के 60 अधिकारी कुछ महीने में ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि खामी छोटी-मोटी नहीं है।

इसके लिए राजस्व विभाग की संगठनात्मक संरचना में अधिक बदलाव की जरूरत है। वास्तव में जांच शाखा को राजस्व विभाग से निकालकर इसे वित्त मंत्रालय में किसी दूसरे विभाग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

कानाफूसी

अंदरूनी लड़ाई सतह पर

हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दरवाजे तक पहुंच गई है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और उनके समर्थकों ने बुधवार को 10 जनपथ स्थित गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन नेताओं का आरोप था कि आगामी चुनाव के टिकट वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। तंवर के समर्थकों ने जहां प्रबंधन समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं तंवर ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण सही ढंग से नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके टिकट बेचे जाने का आरोप भी लगा दिया। गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने पिछले महीने तंवर की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया था। हुड्डा खुलकर तंवर का विरोध कर रहे थे। तंवर को राहुल का करीबी माना जाता है। वह 2014 से प्रदेश अध्यक्ष थे।

पर्यटक मित्र पुलिस

मध्य प्रदेश को विदेशी पर्यटकों तथा गैर हिंदी भाषी पर्यटकों के अनुकूल बनाने में भाषा एक बड़ी बाधा है। कम से कम राज्य सरकार का तो ऐसा ही मानना है। यही कारण है कि प्रदेश के पुलिसकर्मियों को इससे संबंधित प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह पुलिसकर्मियों को इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करे। जानकारी के मुताबिक एक बैच का प्रशिक्षण पूरा भी हो चुका है। इन्हें पर्यटकों के लिए सहायक बनाने के अलावा अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

आपका पक्ष

भ्रामक खबर फैलाने वालों पर सख्ती हो

उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि देश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। केंद्र सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए गाइडलाइन की जरूरत है। केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैधानिक दिशा निर्देशों की समय सीमा तय करनी चाहिए। सरकार के द्वारा एक ऐसी गाइडलाइन की जरूरत है जिससे ऑनलाइन अपराध और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान की जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर संदेश सामग्री उपलब्ध करवाने वाले का पता लगाना एक गंभीर मुद्दा है। इसके लिए नीति की जरूरत है। वर्तमान में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत तेजी से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट की भरमार है जिसके द्वारा

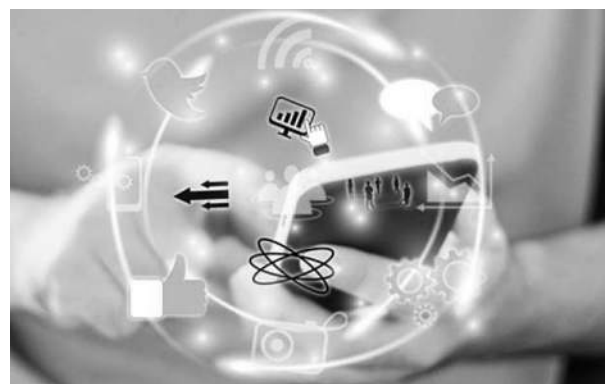

फेक न्यूज फैलाई जाती है। कुछ दिन पहले बच्चा चोरी की खबर सोशल मीडिया पर फैली हुई थी। इससे बेकसूर लोगों की पिटाई की गई थी। अत: भ्रामक खबरों को रोकने के लिए नए नियम लागू करने की जरूरत है। जिस प्रकार बैंक खाते को आधार से जोड़ा गया उसी प्रकार सोशल मीडिया अकाउंट को भी आधार से जोड़ने की जरूरत है।

सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए

इससे फर्जी अकाउंट में कमी आएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

राजू, गोरखपुर

पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी

जीवन में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से आज तरह-तरह की मुसीबतें पैदा हो रही हैं। लोगों को पर्यावरण को नुकसान के अलावा कचरे के ढेर और नालों के जाम से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक कचरे की शक्ल में प्रदूषण का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। इसके बावजूद लोगों के बीच प्लास्टिक के इस्तेमाल के मामले में लापरवाही देखी जाती है। लोग यह समझना नहीं चाहते कि प्लास्टिक से होने वाली मामूली सुविधा की कीमत उनके साथ-साथ पर्यावरण को कैसे चुकानी पड़ रही है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में आग्रह किया कि अगर गंभीर चुनौतियों को कम करना हो तो उसके लिए बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक से छुटकारा पाना होगा। प्लास्टिक से पैदा होने वाली मुश्किलों के मद्देनजर पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। सरकार की ओर भी अक्सर ऐसी घोषणाएं सामने आती रहती हैं कि अब प्लास्टिक और उससे बने सामान के उपयोग को सीमित और उससे आगे प्रतिबंधित किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचाट से लेकर देश की कई अदालतों ने प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी भी किए हैं। सवाल यह है कि जब तक प्लास्टिक से बने सामान बाजार में उपलब्ध हैं तब तक उनके उपयोग को कैसे सीमित किया जाएगा। आम लोगों के बीच जागरूकता की कमी है जिससे वे इससे होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते। प्लास्टिक के उत्पादन को प्रतिबंध करने तथा जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

दीप कुमार, महाराजगंज

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।